भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग Department of Information Technology
लखनऊ Lucknow

निविदा संख्या 2026_RBI_296803_1

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में कंप्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु वेंडरों के पैनल में सम्मिलित किए जाने के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में 23 बी1 श्रेणी के लैपटॉपों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु

सीमित ई-निविदा/बोली

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 26 नवंबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक।

भाग – I

(तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

क्षेत्रीय निदेशक
आरबीआई लखनऊ
8-9, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226010

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, लखनऊ ने यह दस्तावेज़ इच्छुक पक्षों को कार्य के संबंध में पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी तैयार करने में समुचित सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी तथा उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं अथवा सलाहकारों में से कोई भी इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी अथवा इसके संबंध में उपलब्ध कराई जा सकने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वारंटी नहीं देता है और न ही कोई अभ्यावेदन करता है।

यह दस्तावेज़ संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार नहीं किया गया है। इच्छुक पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं आवश्यक पूछताछ करें। यदि उत्तरदाताओं द्वारा समुचित सावधानी नहीं बरती जाती है, तो इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

यह दस्तावेज़ इस आधार पर उपलब्ध कराया गया है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी अथवा उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं होगा।

विषय-सूची

क्रम सं.	मदें		
1.	खंड I	**निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)**	
2.	खंड II	**निविदा प्रपत्र**	
3.	खंड III	**बोलीदाताओं के लिए निर्देश**	
	शर्त	1.	सेवाओं/कार्य का नाम
		2.	सेवाओं/कार्य का संक्षिप्त कार्य-क्षेत्र
		3.	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर ई-निविदा
		4.	पात्रता मानदंड
		5.	निविदा प्रक्रिया
		6.	बोली-पूर्व बैठक
		7.	वैधता
		8.	भाषा
		9.	मूल्य बोली (भाग-II) में दरें
		10.	सफल बोलीदाता
		11.	अनुबंध से वंचित किया जाना/न्यायालयीन मामला
		12.	भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश
		13.	आपूर्ति एवं स्थापना का स्थान
		14.	अन्य निर्देश
	खंड III (B)	**मूल्यांकन मानदंड**	
4.	खंड IV	**अनुबंध की सामान्य शर्तें**	
	शर्त	1.	निर्वचन संबंधी खंड
		2.	लागत एवं मुद्रा
		3.	स्थापना
		4.	आपूर्ति किए गए उपकरणों की अनुकूलता
		5.	वारंटी
		6.	डाउनटाइम के लिए दंड
		7.	बार-बार खराबी होना
		8.	बैंक को क्षतिपूर्ति
		9.	गारंटी
		10.	जीवन-चक्र की समाप्ति
		11.	अनुबंध की पूर्णता
		12.	अप्रत्याशित घटना

क्रम सं.	मदें		
		13.	विवादों का समाधान
		14.	अधिकार-क्षेत्र
		15.	बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन
		16.	अधिकारों का समनुदेशन एवं उप-किराए पर देना
		17.	गोपनीयता संबंधी खंड
		18.	अनुबंध से वंचित करना/अयोग्य घोषित करना
		19.	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकना
5	खंड V		**अनुबंध की विशेष शर्तें**
		1.	आपूर्ति एवं स्थापना की अवधि
		2.	परिनिर्धारित हर्जाने (एलडी)
		3.	भुगतान की शर्तें
		4.	बिलिंग
7	खंड VI	**सेवाओं/कार्य का कार्य-क्षेत्र एवं अनुमोदित निर्माता**	
8	खंड VII	**निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की जाँच-सूची**	
9	खंड VIII	**मूल्यरहित मात्रा विवरण**	
	अनुलग्नक		
1.	अनुलग्नक I	प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्तारनामा का प्रारूप	
2.	अनुलग्नक II	सीपीपीपी पर ई-निविदा की प्रक्रिया	
3.	अनुलग्नक III	फर्म/बोलीदाता के विवरण का प्रारूप	
4.	अनुलग्नक IV	बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई/सिविल वाद/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता संबंधी वचन-पत्र	
5.	अनुलग्नक V	भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वचन-पत्र/घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र का प्रारूप	
6.	अनुलग्नक VI	सार्वजनिक संस्थानों द्वारा अनुबंध से वंचित किए जाने संबंधी घोषणा	

खंड-I

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में कंप्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु वेंडरों के पैनल में सम्मिलित किए जाने के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में 23 बी1 श्रेणी के लैपटॉपों की आपूर्ति एवं स्थापना

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ अपने पैनल में सम्मिलित वेंडरों से उपर्युक्त कार्य हेतु दो भागों में सीमित ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत ₹50,00,000/- (जीएसटी सहित) है तथा इसे क्रय आदेश जारी होने के पश्चात 7 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है।

2. **पत्रता मानदंड:** वे बोलीदाता पात्र होंगे, जो भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में कंप्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु पैनल में सम्मिलित हैं, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ के खंड III के शर्त 4 में उल्लिखित है।

3. ई-निविदा की प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से तृतीय पक्ष के रूप में **केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी)** https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से संपन्न की जाएगी। अतः इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण तथा निविदा प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक II** में संलग्न है। ई-निविदा ऑनलाइन दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा के भाग-I में प्रस्तावित सेवाओं/कार्य से संबंधित मानक तकनीकी एवं वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी तथा भाग-II में मूल्य बोली शामिल होगी। सभी आवश्यक अनुलग्नक तथा दस्तावेजी प्रमाण भी निविदा के भाग-I के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह एक ई-निविदा है और बोलीदाताओं को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है।

4. बैंक न्यूनतम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा उसे किसी भी निविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, बिना कोई कारण बताए, किसी एक अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. बैंक को अनुलग्नक/शुद्धिपत्र/बैठक का कार्यवृत्त/बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त जारी करने का अधिकार सुरक्षित है। इन्हें केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट तथा सीपीपीपी पर प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे अद्यतन निविदा दस्तावेज़ का अभिन्न अंग होंगे तथा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को इनके संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। किसी भी संशोधन के संबंध में इन पोर्टलों की निगरानी करना बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

6. निविदा की समय-सारणी (एसओटी) निम्नानुसार है :

	ई-निविदा संख्या	**2026_RBI_296803_1[भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में 23 बी1 श्रेणी के लैपटॉपों की आपूर्ति एवं स्थापना]**
	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन भाग-I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली तथा भाग-II – मूल्य बोली), सीपीपी

		पोर्टल के माध्यम से https://etenders.gov.in/eprocure/app
	अनुमानित लागत	₹ 50,00,000/- (जीएसटी सहित)
	कार्य पूरा करने की समय-सीमा	आपूर्ति के लिए 6 सप्ताह तथा स्थापना के लिए 1 सप्ताह
	सीपीपी पोर्टल/भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु ई-निविदा दस्तावेज़ उपलब्ध होने की तिथि	06 नवंबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे से
	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) तथा भाग-II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि	06 नवंबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे से
	बोली-पूर्व बैठक की तिथि एवं समय	13 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे। **माध्यम** : वेबेक्स के माध्यम से (खंड III के खंड 4 के अनुसार सभी पात्र बोलीदाताओं को ई-मेल के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा)
	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट/सीपीपीपी पर बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तिथि	16 नवंबर 2026
	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	26 नवंबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक
	a. भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय b. भाग-II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि एवं समय	27 नवंबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे केवल उन बोलीदाताओं की दूसरी ई-कवर अर्थात् भाग-II (मूल्य बोली) खोली जाएगी, जो भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में अर्हता प्राप्त करेंगे। इसे उसी दिन (27 नवंबर 2026) अथवा किसी बाद की तिथि को खोला जाएगा तथा इसकी सूचना अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।
	इस टेंडर के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अधिकारियों के नाम।	नाम: पुष्पेंद्र सिंह ईमेल : ditlucknow@rbi.org.in मोबाईल नंबर : 7652094812 नाम : अर्चना वर्मा ईमेल: ditlucknow@rbi.org.in मोबाईल नंबर: 6394567959

7. यह सूचना केवल जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है और यह इस सीमित निविदा में बोली लगाने के लिए कोई खुला आमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण के माध्यम से ही संभव है और यह केवल संबंधित संस्था (प्रोक्योरिंग एंटिटी) के सूचीबद्ध ठेकेदारों तक ही सीमित है। बिना आमंत्रण के प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, जो ठेकेदार भविष्य में ऐसी निविदाओं में भाग लेना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई के साथ सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक 8-9, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226010

खंड II
<u>निविदा प्रपत्र</u>

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
8-9, विपिन खंड,
गोमती नगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश – 226010

महोदया/महोदय,

नीचे उल्लिखित ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों एवं मात्रा विवरण का परीक्षण करने तथा निविदा को प्रभावित करने वाली उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्, मैं/हम एतद्द्वारा संलग्न मात्रा विवरण में उल्लिखित दरों पर तथा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विनिर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देशों, करार के अनुच्छेदों, अनुबंध की विशेष शर्तों, अनुबंध की सामान्य शर्तों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'विनिर्देश' कहा गया है), डेटा शीट एवं मात्रा विवरण में उल्लिखित सभी विनिर्देशों और लिखित निर्देशों का सभी प्रकार से पालन करने तथा वहाँ उल्लिखित सामग्री एवं अन्य सभी लागू शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

<u>ज्ञापन</u>

i.	कार्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में कंप्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु वेंडरों के पैनल में सम्मिलित किए जाने के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में 23 बी1 श्रेणी के लैपटॉपों की आपूर्ति एवं स्थापना
ii.	अनुमानित लागत	₹50,00,000/- (जीएसटी सहित)
iii.	भुगतान की शर्तें	निविदा के भाग-I के खंड V के शर्त 3 के अनुसार।
iv.	निष्पादन बैंक गारंटी	निविदा के भाग-I के खंड V के शर्त 3 के अनुसार।
v.	अनुबंध अवधि/कार्य पूरा करने की समय-सीमा	निविदा के भाग-I के खंड V के शर्त 1 के अनुसार।

2. यदि हमारी निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो हम एतद्द्वारा निविदा की सभी शर्तों एवं निबंधनों का पालन करने तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए सहमत हैं।
3. हम यह स्वीकार करते हैं कि आपको किसी भी निविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए, स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
4. 4. हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि हम निविदा दस्तावेज़ों तथा कार्य से संबंधित अन्य अभिलेखों को गोपनीय दस्तावेज़ मानेंगे। हम यह वचन देते हैं कि हम इनसे प्राप्त किसी भी जानकारी को ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे, जिसे हम उक्त जानकारी प्रकट करने के लिए अधिकृत हों। हम इस जानकारी का उपयोग किसी ऐसे तरीके से भी नहीं करेंगे, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा, संरक्षा अथवा हितों के प्रतिकूल हो।

दिनांक : _____ माह : _____ 2026

मेसर्स_____ की ओर से एवं उनके निमित्त

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर)

नाम : _____

पदनाम : _____

स्थान : _____

दिनांक : _____

(उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प अथवा अधिदेश अथवा मुख्तारनामे की सत्यापित सत्य प्रति, अनुलग्नक । में दिए गए प्रारूप के अनुसार संलग्न की जानी चाहिए।)

खंड III

A. बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

1. यह दो भागों में सीमित ई-निविदा आमंत्रण है, अर्थात् भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) एवं भाग-II (मूल्य बोली)। केवल वे बोलीदाता, जो निविदा में निर्धारित पूर्व-अर्हता/पात्रता मानदंडों के अनुसार उक्त कार्य के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, इस निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे।

2. **सेवाओं/कार्य का संक्षिप्त कार्य-क्षेत्र** : सेवाओं/कार्य का संक्षिप्त कार्य-क्षेत्र निम्नानुसार है:

 भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में कंप्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु वेंडरों के पैनल में सम्मिलित किए जाने के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में 23 बी1 श्रेणी के लैपटॉपों की आपूर्ति एवं स्थापना

 सेवाओं/कार्य का विस्तृत कार्य-क्षेत्र इस निविदा के **खंड VI** में उल्लिखित है।

3. **सीपीपीपी पर ई-निविदा**: ई-निविदा की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है। फर्मों से संबंधित जिन विवरणों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उनका प्रारूप अनुलग्नक III में निर्धारित है। सेवाओं/कार्य की अनुमानित लागत तथा कार्य पूरा करने की अवधि का उल्लेख खंड I में किया गया है।

4. **पात्रता मानदंड**: वे वेंडर इस निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे, जो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में कंप्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ पैनल में सम्मिलित हैं।

 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस निविदा में भाग लेने से पहले अपनी पात्रता के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से जाँच कर लें। पैनल में सम्मिलित नहीं किए गए वेंडरों की बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

5. **निविदा प्रक्रिया**: **a.** उपर्युक्त सेवाओं/कार्य के लिए निविदाएँ दो भागों में प्रस्तुत की जाएँगी। अर्थात्, भाग-I में संबंधित निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक बोली तथा नियम एवं शर्तें शामिल होंगी (इस भाग में किसी भी स्थान पर दरें एवं मदों की राशियाँ उल्लिखित नहीं की जाएँगी) तथा भाग-II में केवल दरें होंगी, जिन्हें एनआईटी के अनुसार सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

 निविदा का भाग-I, एनआईटी में उल्लिखित तिथि एवं समय पर खोला जाएगा।

 पात्र बोलीदाताओं का भाग-II सभी बोलीदाताओं को सूचना दिए जाने के पश्चात किसी आगामी तिथि को खोला जाएगा। विस्तृत मूल्यांकन मानदंड खंड III (B) में उल्लिखित हैं।

 नोट : माँगी गई सभी सूचनाएँ/अनुलग्नक सभी दृष्टियों से पूर्ण होने चाहिए तथा सहायक दस्तावेज़ों के साथ सीपीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रपत्रों में प्रस्तुत जानकारी पर विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, बोलीदाता प्रस्तावित उपकरणों के निर्माताओं की केवल संबंधित कैटलॉग/पत्रक/विवरणिका अपलोड कर सकते हैं।

6. **बोली-पूर्व बैठक**:

निविदा के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न/संदेह का स्पष्टीकरण देने के लिए बोलीदाताओं की एक बोली-पूर्व बैठक NIT में निर्धारित तिथि एवं माध्यम के अनुसार आयोजित की जाएगी। खंड III के खंड 4 के अनुसार पात्र बोलीदाताओं के ई-मेल पते पर बैठक से पूर्व Webex बैठक का लिंक भेजा जाएगा। निविदा दस्तावेज़ के संबंध में बोली-पूर्व बैठक में अनुपस्थित रहना किसी बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं होगा।

i. सभी फर्मों के लिए बोली-पूर्व बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है, ताकि वे निविदा से संबंधित किसी भी विषय पर बैंक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें। बोली-पूर्व बैठक की तिथि में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर इसके पश्चात् विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई फर्म बोली-पूर्व बैठक में उपस्थित नहीं होती है, तो भविष्य में उसके किसी स्पष्टीकरण संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा तथा बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त उस पर बाध्यकारी होगा।
ii. बोली-पूर्व बैठक के पश्चात् निविदा के भाग-I में निर्धारित निविदा की शर्तों से किसी भी प्रकार का विचलन शामिल करना/प्रस्तुत करना निविदा अस्वीकार किए जाने का आधार हो सकता है।
iii. बोली-प्रक्रिया के संबंध में जारी बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त तथा किसी भी शुद्धिपत्र/संशोधन/अनुलग्नक को केवल बैंक की वेबसाइट एवं सीपीपीपी पर उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

7. **वैधता**: निविदाएँ, निविदा का भाग-I खोले जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु खुली रहेंगी। इस अवधि को दोनों पक्षों की लिखित सहमति से बढ़ाया जा सकता है तथा बोलीदाता इस अवधि के दौरान अपनी निविदा रद्द नहीं करेगा और न ही वापस लेगा।
8. **भाषा**: निविदा प्रपत्र अंग्रेज़ी अथवा हिंदी में भरा जाएगा।

9. **मूल्य बोली में दरें (भाग II)**: सभी भुगतान भारतीय रुपये में किए जाएँगे।

i. उद्धृत दरें स्थिर होंगी तथा विनिमय दर, शुल्क, स्थानीय उपकर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, चुंगी, आयात/निर्यात लाइसेंस शुल्क अथवा राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए किसी अन्य कर/शुल्क में परिवर्तन के अधीन नहीं होंगी।
ii. दरों में जीएसटी तथा सभी लागू कर, पैकिंग, मालभाड़ा, पारगमन बीमा और भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में स्थापना का खर्च शामिल होगा। किसी भी अतिरिक्त दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
iii. प्रत्येक चालान/बिल में अन्य बातों के साथ-साथ वेंडर का पैन तथा जीएसटी पंजीकरण संख्या भी दर्शाई जाएगी। वेंडर द्वारा जीएसटी जमा किए जाने का पर्याप्त प्रमाण भी उचित समयावधि के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। अनुबंध मूल्य पर लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार जीएसटी/स्रोत पर कर कटौती/कोई अन्य कर के अधीन टीडीएस/टीसीएस/टीडीसी भी लागू होंगे।

10. **सफल बोलीदाता**: खंड III (बी) में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार सफल बोलीदाता निर्धारित किया

11. **अनुबंध से वंचित किया जाना/न्यायालयीन मामला:**

i. यदि किसी बोलीदाता को निम्नलिखित में से किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, तो उसके संबंध में घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा — (a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराध; अथवा (b भारतीय दंड संहिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत ऐसा अपराध, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा संपत्ति की क्षति हुई हो या लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न किया गया हो। इस संबंध में बोलीदाता को अपने लेटरहेड पर विधिवत मुहर एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप में वचन-पत्र/घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

ii. बोलीदाता को अनुलग्नक VI के अनुसार अनुबंध से वंचित किए जाने संबंधी घोषणा के संबंध में वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. **भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदारों से संबंधित नियमों का अनुपालन:** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के लोक खरीद प्रभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन (OM) संख्या F. No. 6/18/2019-PPD दिनांक 23 जुलाई, 2020 के माध्यम से भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं के संबंध में जारी निर्देशों/नियमों तथा उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों एवं इस संबंध में जारी लोक खरीद आदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। इस संबंध में बोलीदाता को अपने लेटरहेड पर विधिवत मुहर एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित अनुलग्नक V में दिए गए प्रारूप में वचन-पत्र/घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

13. आपूर्ति एवं स्थापना का स्थान: सामग्री की आपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, लखनऊ – 226010 में की जाएगी। ठेकेदार अपने खर्च एवं जोखिम पर सामग्री की आपूर्ति तथा स्थापना करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सामग्री लिखित रूप से विधिवत सुपुर्द किए जाने तक सामग्री के लिए, जिसमें उसकी किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हानि भी शामिल है, ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

14. अन्य निर्देश :

i. बोलीदाता को अपनी निविदा तैयार करने तथा अनुबंध में प्रवेश करने के उद्देश्य से आवश्यक सभी सूचनाएँ स्वयं, अपनी जिम्मेदारी पर तथा अपने खर्च पर प्राप्त करनी होंगी। उसे आवश्यकताओं (यदि कोई हों), स्थल, विनिर्देशों तथा निविदा को नियंत्रित करने वाली अन्य सभी शर्तों का स्वयं परीक्षण करना होगा। ऐसी जानकारी के अभाव अथवा किसी गलतफहमी के आधार पर बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी दावे पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ii. उपर्युक्त सभी निर्देश, नियम एवं शर्तें निविदादाता पर बाध्यकारी होंगी। ये वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कंप्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु वेंडरों को पैनल में सम्मिलित करते समय केंद्रीय कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अतिरिक्त तथा उन्हें प्रभावित किए बिना लागू होंगी।

iii. बैंक को निविदादाता द्वारा उद्धृत समान दरों पर ही निविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा ऐसी स्वीकृति निविदादाता पर स्वीकृत निविदा की सीमा तक बाध्यकारी होगी।

खंड III (बी) मूल्यांकन मानदंड

1. खंड III के क्लॉज़ 4 में बताए गए बोलीदाताओं के पहले ई-कवर, अर्थात भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को खोलने के बाद, खंड III (बी) में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर निविदाओं (टेंडरों) का मूल्यांकन किया जाएगा।

2. बोलीदाताओं को पहले ई-कवर यानी भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। केवल उन निविदाओं पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जो अपेक्षित पात्रता को पूरा करती हैं। बैंक द्वारा प्रस्तुत सूचना और सहायक दस्तावेजों की शुद्धता/वैधता और पर्याप्तता की सत्यापन/जांच की जाएगी। यदि अपलोड की गई निविदा में कोई दस्तावेज गुम है या फर्जी पाया जाता है, तो बैंक को गुम दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों का अनुरोध करने और इन प्रमाणपत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा।

3. अयोग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां नहीं खोली जाएंगी, और इस संबंध में उन्हें सूचित कर दिया जाएगा।

4. भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में योग्य पाए गए सभी बोलीदाताओं का दूसरा ई-कवर, यानी भाग II (प्राइस बिड), वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोला जाएगा। सबसे कम कीमत (L1) वाली फर्म को अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) देने पर विचार किया जाएगा और उसे सफल बोलीदाता माना जाएगा।

5. यदि दो या अधिक बोलीदाताओं द्वारा दी गई सबसे कम बोली की राशि समान है, तो ऐसे बोलीदाताओं से कहा जा सकता है कि वे अपनी पहले से दी गई बोली की राशि पर छूट देते हुए, एक संशोधित प्रस्ताव बंद लिफाफे में जमा करें। इसके अलावा, यदि कोई ऐसा बोलीदाता अपनी बोली को कम नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली ही आगे की प्रक्रिया के लिए मान्य रहेगी। सबसे कम बोली का निर्णय संशोधित प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा। यदि संशोधित प्रस्तावों में दो या अधिक बोलीदाताओं की संशोधित बोली राशि फिर से समान पाई जाती है, तो जिस फर्म का डिलीवरी समय सबसे कम होगा (जैसा कि वेंडर द्वारा ईमेल के माध्यम से बताया गया है), उसे अनुबंध देने के लिए चुना जाएगा।

खंड **IV**
अनुबंध की सामान्य शर्तें

व्याख्या खंड

1. इन शर्तों, सेवाओं/कार्य के दायरे, विनिर्देशों, मात्राओं के विवरण (बिल ऑफ क्वांटिटीज) और अनुबंध समझौते की व्याख्या करते समय, नीचे दिए गए शब्दों के वही अर्थ होंगे जो यहाँ बताए गए हैं, सिवाय उस स्थिति के जहाँ विषय या संदर्भ के अनुसार इनका कोई अन्य अर्थ निकलता हो।

i.	"आरबीआई"	भारतीय रिज़र्व बैंक का अर्थ होगा, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001 में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं।
ii.	"बैंक"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशित और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
iii.	"निविदा दस्तावेज"	इसका अर्थ होगा बैंक द्वारा ठेकेदारों को जारी किया गया वह दस्तावेज़, जिसमें परियोजना के लिए बोलियां (बिड्स) आमंत्रित की गई हों।
iv.	"बोलीदाता"	जो बोलियां/निविदाएं (बिड्स/टेंडर्स) जमा करते हैं। इसमें पार्टनरशिप फर्म, व्यक्तिगत फर्म और कंपनी शामिल हो सकती हैं। साथ ही, किसी दिवंगत पार्टनर के कानूनी प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
v.	"ठेकेदार "	"ठेकेदार" वह सफल बोलीदाता है जिसे आधिकारिक तौर पर सेवाएं/काम पूरा करने का ठेका दिया गया है। यह कोई पार्टनरशिप फर्म, एकल फर्म या कंपनी हो सकती है। इसमें किसी दिवंगत पार्टनर के कानूनी प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं।
vi.	"साइट"	इसका अर्थ होगा अनुबंध सेवाओं/कार्यों की साइट, जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण शामिल है और कोई अन्य भूमि (समावेशी) जैसा कि ठेकेदार की सेवाओं/कार्य के लिए बैंक द्वारा आवंटित किया गया है।
vii	"अनुबंध"	इसका अर्थ होगा और इसमें निविदा दस्तावेज के सभी अनुभाग, संबंधित पत्र, सेवाएं / कार्य आदेश, करार की शर्तें, सीएएमसी करार और पूर्व-बोली के कार्यवृत्त आदि शामिल होंगे जो यहां संलग्न हैं और विधिवत हस्ताक्षरित हैं।
vii	"लिखित रूप में सूचना"	या लिखित नोटिस का मतलब होगा कि लिखित रूप से भेजे गए या मुद्रित वर्णों में एक नोटिस (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित नहीं किया गया हो या अन्यथा प्राप्त किया गया है) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर प्राप्त किया गया है, जब पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में, यह वितरित किया गया होगा। किसी भी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए संचार को भी लिखित सूचना माना जाएगा।

ix.	"दिवालिया अधिनियम"	इसका मतलब दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 या इस तरह के मूल में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवालिया अधिनियम से होगा।
x.	"शुद्ध मूल्य"	सीपीपीपी में निविदा के भाग II में उल्लिखित वस्तु का मूल्य।
xi.	"बाजार दर"	यह वह दर होगी जिसे बैंक द्वारा उस स्थान पर सामग्री और श्रम की लागत के आधार पर तय किया जाएगा, जहाँ सेवाएँ/कार्य निष्पादित किए जाने हैं; इसमें सभी ऊपरी खर्चों (ओवरहेड्स) और मुनाफे को शामिल करने के लिए खंड 12(ई) में उल्लिखित प्रतिशत भी जोड़ा जाएगा।
xii	"सेवाएं/कार्य"	एनआईटी में उल्लिखित निविदा का नाम होगा।
xii	दिन/माह/वर्ष	इसका मतलब होगा कैलेंडर दिन/महीना/वर्ष
xiv	कार्य दिवस	इसका अर्थ उन दिनों से है जब बैंक का कार्यालय खुला रहता है/कामकाज होता है, यानी सार्वजनिक छुट्टियों, शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य दिन।
xv	इंजीनियर-इन-चार्ज/बैंक के इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि	इसका अर्थ है बैंक द्वारा नियुक्त और वेतन पाने वाला वह अधिकारी, जो बैंक के आदेशों के तहत काम करता है और सेवाओं/कार्यों की देखरेख तथा उनके प्रभारी के रूप में कार्य करता है। अनुबंध के अंतर्गत की जाने वाली सभी सेवाएं/कार्य, बैंक के प्रतिनिधि के निर्देशन में और हर तरह से उनकी मंजूरी के अधीन ही पूरे किए जाएंगे।
xv	निर्माता	इससे तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या फर्म से है जो सामग्री का उत्पादक और प्रदाता हो, अथवा उपकरणों का डिज़ाइनर और निर्माता हो।
xv	ठेकेदार की सेवाएं/कार्य या निर्माता की सेवाएं/कार्य	इसमें वह भूमि और अन्य स्थान शामिल होंगे जिनका उपयोग ठेकेदार/निर्माता या उप-ठेकेदार/उप-निर्माता द्वारा "उपकरण" बनाने या "सेवाएं/कार्य" करने के लिए किया जाता है।
xv	अनुबंध मूल्य या अनुबंध	'राशि' का अर्थ उस कुल राशि से है, जिसकी गणना सफल ठेकेदार द्वारा दी गई प्रति-इकाई दरों और 'बिल ऑफ क्वांटिटीज' (प्राइस बिड) में बताई गई मात्राओं के आधार पर की गई है, जिसे बैंक ने स्वीकार कर लिया है और जिसका उल्लेख सेवा/कार्य सौंपने के पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) में किया गया है।
xix	अनुबंध अवधि	इसका अर्थ होगा अनुबंध के निष्पादन/सेवाओं/कार्यों को पूरा करने के लिए निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि, जिसमें बैंक द्वारा कोई प्राधिकृत विस्तारित अवधि भी शामिल है

xx	अनुबंध करार	इसका अर्थ होगा परियोजना के निष्पादन के लिए ठेकेदार और बैंक के बीच हस्ताक्षरित करार ।

2. लागत और मुद्रा

i. सूचीबद्ध विक्रेताओं को केवल भारतीय रुपये में वस्तुओं/उपकरणों की कीमतों का उल्लेख करना आवश्यक है।

ii. वस्तुओं/उपकरणों की आपूर्ति के लिए चुने गए विक्रेता को बैंक के स्थान पर डिलीवरी तक वस्तुओं/उपकरणों को कवर करने के लिए पारगमन बीमा लेना आवश्यक है। ट्रांजिट बीमा प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा नहीं की जाएगी।

iii. विक्रेता अनुबंध अवधि की वैधता के दौरान उपकरण के उन्नत संस्करणों, यदि कोई हो, की आपूर्ति करेगा।

3. इंस्टालेशन

सामान/उपकरणों की आपूर्ति के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए वेंडर को ही उन्हें इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के दौरान, वेंडर को पुराने डेस्कटॉप और लैपटॉप से बैकअप लेकर नए डेस्कटॉप और लैपटॉप में कॉपी करना होगा। इसके अलावा, बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी लाइसेंस्ड सॉफ़्टवेयर (जैसे एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर, MS Office, Windows OS (एंटरप्राइज़ एडिशन लाइसेंस), Adobe आदि) को भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इंस्टॉल करना होगा।

4. आपूर्ति किए गए उपकरणों की अनुकूलता

विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए सभी उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम संस्करण के साथ संगत होंगे।

5. वारंटी

क) लखनऊ स्थित स्थानों पर बैंक द्वारा सिस्टम स्वीकार किए जाने की तारीख से, सभी पुर्जों और लेबर को कवर करने वाली तीन साल की ऑन-साइट व्यापक वारंटी दी जाएगी। वारंटी अवधि के दौरान, वेंडर को अपने द्वारा सप्लाई किए गए हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक्सेसरीज का व्यापक रखरखाव (मेंटेनेंस) करना होगा।

ख) मैकओएस/आईपैड ओएस वाले उत्पाद मानक ओईएम वारंटी के साथ आते हैं।

ग) विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अगले कार्य दिवस तक सभी वस्तुओं की मरम्मत कर दें। यदि ऐसा संभव न हो, तो वे संबंधित बैंक शाखा (जिसने परचेज ऑर्डर जारी किया है) से विशेष छूट के लिए अनुरोध कर सकते हैं; ऐसे मामलों पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।

घ) सभी वस्तुओं, एक्सेसरीज़, स्पेयर पार्ट्स आदि के लिए निर्माता की वारंटी के संबंध में वेंडर पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इसमें डिज़ाइन, सामग्री, निर्माण, कारीगरी, या निर्माता/वेंडर के किसी कार्य या चूक के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी खराबी, अथवा वारंटी अवधि के दौरान आपूर्ति की गई वस्तुओं के सामान्य उपयोग के दौरान सामने आने वाली कोई भी खराबी शामिल है।

ई) यदि बैंक किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) से कोई अतिरिक्त हार्डवेयर खरीदकर उसे इन मशीनों में लगाता है, तो भी वारंटी खत्म नहीं होगी। हालाँकि, इस तरह लगाए गए हार्डवेयर पर ओईएम की वारंटी लागू नहीं होगी। इसके अलावा, वेंडर को अनुबंध में दी गई वारंटी की शर्तों का पालन करना होगा।

6. डाउनटाइम के लिए जुर्माना

यदि अनुबंध के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं की मरम्मत के लिए आवश्यक अनुमानित समय चार कार्य दिवसों से अधिक है, तो विक्रेता तुरंत समकक्ष या उच्च कॉन्फ़िगरेशन की एक स्टैंडबाय मशीन प्रदान करेगा जब तक कि मूल उपयोग के लिए बहाल नहीं हो जाता। यदि विक्रेता रखरखाव के उपरोक्त मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो नीचे निर्दिष्ट दंड होगा:

क्रमांक	मद	राशि (प्रत्येक के लिए)
1	डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट	₹1500/- प्रति दिन
2	प्रिंटर/स्कैनर	₹1500/- प्रति दिन
3	परिधीय / अन्य अतिरिक्त आइटम जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है	₹1000/- प्रति दिन

यदि वेंडर सात दिनों के भीतर लगाई गई पेनल्टी की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट/ईमेल के माध्यम से एक नया नोटिस जारी किया जाएगा। यदि ऐसे नोटिस के सात दिनों के भीतर भी पेनल्टी की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक को वेंडर को सूचित करते हुएनिष्पादन बैंक गारंटी लागू करने का पूरा अधिकार होगा।

डाउनटाइम की गणना करते समय, संबंधित स्थानों/केंद्रों पर घोषित सार्वजनिक छुट्टियों और अपरिहार्य परिस्थितियों को शामिल नहीं किया जाता है।

7. बार-बार असफलता

यदि, वारंटी अवधि के दौरान, किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से या किसी भी सबसिस्टम में 3 महीने की अवधि में दो या दो से अधिक अवसरों पर कोई विफलता होती है, तो इसे विक्रेता द्वारा बैंक को बिना किसी लागत के समतुल्य नई वस्तुओं से बदल दिया जाएगा। वारंटी अवधि के दौरान डेस्कटॉप/लैपटॉप के एसडीडी या एचडीडी की विफलता के मामले में, विक्रेता उपयोगकर्ता को डेटा पुनर्प्राप्त करने में मदद करेगा।

8. बैंक को क्षतिपूर्ति

सूचीबद्ध विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों के संबंध में पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के किसी भी उल्लंघन से बैंक को होने वाले नुकसान या क्षति की भरपाई वे करेंगे।

9. गारंटी

अनुबंध के अंतर्गत आने वाले उपकरण उच्चतम गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप होने चाहिए। सॉफ्टवेयर के मामले में, विक्रेता को यह गारंटी देनी होगी कि खरीदार को दिया गया सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड है और उसे कानूनी रूप से प्राप्त किया गया है। सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उनके मूल और पूर्ण मुद्रित दस्तावेज़ों (डॉक्यूमेंटेशन) के साथ दिए जाने चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रदान की गई सभी वस्तुएं एक समान हों। 'आवश्यकता सूची' में किसी वस्तु की जितनी मात्रा मांगी गई है, वह सभी एक ही ब्रांड और एक ही मॉडल नंबर की होनी चाहिए। किसी वस्तु के सभी नगों (पीस) के लिए पार्ट नंबर भी एक समान होने चाहिए। विक्रेता को किसी वस्तु के आंतरिक घटकों या सब-सिस्टम को किसी अन्य निर्माता की समान वस्तुओं से नहीं बदलना चाहिए। सभी वस्तुओं और पेरिफेरल्स के साथ उनसे संबंधित इंटरफ़ेस केबल भी दिए जाने चाहिए।

पैनल में शामिल विक्रेताओं को केवल "वाणिज्यिक/व्यावसायिक उत्पादों" की आपूर्ति करनी चाहिए, न कि "घर/उपभोक्ता श्रेणी" के किसी उत्पाद की आपूर्ति करनी चाहिए। आइटम और उसकी डेटाशीट सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए। आपूर्ति किए गए उत्पादों के चालक सार्वजनिक डोमेन में होने चाहिए।

10. एंड ऑफ लाइफ

विक्रेता केवल उन्हीं आइटम की आपूर्ति करेंगे, जिन्हें 31 मार्च 2027 तक 'एंड ऑफ लाइफ' घोषित न किया गया हो। इसके अलावा, इन उत्पादों का 'एंड ऑफ सपोर्ट' भी 31 मार्च 2030 से पहले नहीं आना चाहिए। हालाँकि, यदि ओईएम किसी विशेष मॉडल को बंद करने का निर्णय लेता है, तो विक्रेता को उस उत्पाद को किसी दूसरे उत्पाद (जिसका कॉन्फ़िगरेशन समान या बेहतर हो) से बदलना (अपग्रेड करना) होगा। इसके लिए बैंक को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा और न ही बैंक की व्यवस्था में कोई बदलाव करना होगा। विक्रेता को ऐसे बदलावों के बारे में काफी पहले सूचित करना होगा। यदि कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो विक्रेता को ओईएम के माध्यम से, ऐसे मॉडल को बंद करने से कम से कम एक महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी। सॉफ़्टवेयर के मामले में, विक्रेता डिलीवरी के समय उपलब्ध नवीनतम वर्ज़न की आपूर्ति करेगा, जिसके लिए बैंक को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

11. अनुबंध की पूर्णता

यदि वस्तुओं/उपकरणों का कोई भी हिस्सा, या उनसे संबंधित कोई दस्तावेज़/मीडिया डिलीवर नहीं किया जाता है, या डिलीवर तो किया जाता है लेकिन उसे इंस्टॉल नहीं किया जाता है और/या वह चालू हालत में नहीं है, या फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग/जांच के बाद बैंक को स्वीकार्य नहीं है, तो अनुबंध को अधूरा माना जाएगा। यदि आपूर्ति और इंस्टॉलेशन को अधूरा माना जाता है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और वारंटी अवधि शुरू नहीं होगी। वारंटी अवधि केवल तभी शुरू होगी जब उक्त पैनलमेंट के अंतर्गत सूचीबद्ध उत्पादों का सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन हो जाए और बैंक उन्हें स्वीकार कर ले।

12. अप्रत्याशित घटना

यदि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विक्रेता की देरी या विफलता किसी 'फोर्स मेज्योर' (अपरिहार्य घटना) के कारण होती है, तो विक्रेता को अपनी परफॉरमेंस सिक्योरिटी (निष्पादन सुरक्षा) जब्त होने, लिक्विडेटेड डैमेजेस (निर्धारित हर्जाने) देने या चूक के कारण अनुबंध रद्द किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इस खंड के उद्देश्यों के लिए, 'फोर्स मेज्योर' का अर्थ ऐसी घटना से है जो विक्रेता के नियंत्रण से बाहर हो, जिसमें विक्रेता की कोई गलती या लापरवाही न हो, और जिसका पहले से अनुमान न लगाया जा सके। ऐसी घटनाओं में शामिल हो सकते हैं (लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं): प्राकृतिक आपदाएं, सार्वजनिक शत्रुओं की गतिविधियां, भारत सरकार द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में की गई कार्रवाई, युद्ध, भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई, या फिर आग, बाढ़ और माल-ढुलाई पर लगी रोक ।

यदि कोई अपरिहार्य घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वेंडर को 20 कैलेंडर दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में ऐसी स्थितियों और उनके कारणों के बारे में तुरंत सूचित करना होगा। जब तक बैंक द्वारा लिखित रूप में कोई अन्य निर्देश न दिया जाए, तब तक वेंडर को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखना होगा, जहाँ तक ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव हो। साथ ही, उसे ऐसे सभी उचित वैकल्पिक तरीके खोजने होंगे जिनसे वह उन दायित्वों को पूरा कर सके, जो 'फोर्स मेज्योर' घटना से बाधित नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में, काम पूरा करने की समय-सीमा को उस अवधि (या अवधियों) तक बढ़ा दिया जाएगा, जो हुई देरी की अवधि से कम न हो। यदि देरी की अवधि तीन महीने से अधिक हो जाती है, तो बैंक और वेंडर समस्या का समाधान खोजने के लिए आपस में विचार-विमर्श करेंगे। उपर्युक्त बातों के बावजूद, बैंक का निर्णय अंतिम होगा और वेंडर को उसे मानना होगा।

13. विवादों का समाधान

बैंक और वेंडर, अनुबंध के तहत या उससे जुड़े किसी भी मतभेद या विवाद को सीधे अनौपचारिक बातचीत के ज़रिए आपसी सहमति से सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि ऐसी अनौपचारिक बातचीत शुरू होने के तीस दिनों के बाद भी बैंक और वेंडर अनुबंध से जुड़े किसी विवाद को आपसी सहमति से नहीं सुलझा पाते हैं, तो कोई भी पक्ष यह मांग कर सकता है कि विवाद को औपचारिक मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के ज़रिए सुलझाया जाए।

14. अधिकार-क्षेत्र

करार से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाही केवल लखनऊ में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी।

15. बैंक द्वारा अनुमोदित की जाने वाली विविधताएं:

i. ठेकेदार विनिर्देशों और विवरणों के अनुसार वस्तुओं को सख्ती से वितरित करेगा, जैसा कि निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।

ii. जहाँ कहीं भी ठेकेदार उच्च विनिर्देशों वाले अपग्रेडेड मॉडल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव देता है, तो ऐसा केवल बैंक के अधिकृत अधिकारियों की पूर्व लिखित स्वीकृति से ही किया जाएगा और इससे बैंक पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी।

16. असाइनमेंट और सब-लेटिंग

अनुबंध में शामिल सभी कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से या उसमें किसी भी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा या कम नहीं करेगा, और कोई भी उपक्रम ठेकेदार को अनुबंध की पूर्ण और पूरी जिम्मेदारी से या उनकी प्रगति के दौरान सेवाओं/कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगा।

17. गैर-प्रकटीकरण खंड:

i. ठेकेदार या उसके कर्मचारी, बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/उपकरण आदि से जुड़ी किसी भी जानकारी, सामग्री या विवरण को—जो इस करार के तहत अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों को पूरा करते समय सर्विस प्रोवाइडर और/या डीबी डेवलपर को प्राप्त हो या उनकी जानकारी में आए—किसी तीसरे पक्ष के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उजागर नहीं करेंगे, और इसे हमेशा पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे। ठेकेदार इस अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जो अनुबंध के तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार, दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इन सेवाओं/कार्यों के किसी भी विवरण को किसी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका में या कहीं और प्रकाशित नहीं करेगा, न ही ऐसा करने की अनुमति देगा और न ही इसे उजागर करेगा। यदि उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा, और दूसरा पक्ष नुकसान की भरपाई (हरर्जाने) की मांग करने और कानूनी कार्रवाई करने का हकदार होगा।

ii. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

iii. सेवा प्रदाता के दायित्व और, अनुबंध करार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना, गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे

18. **प्रतिबंध/अयोग्यता:**

निम्नलिखित आधारों पर किसी ठेकेदार को बोली लगाने से प्रतिबंधित / अयोग्य ठहराया जा सकता है:
i. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि ठेकेदार ने अखंडता की संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है:
ए.

I. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकृति करना।

II. कोई ऐसी चूक या गलत बयानी, जिससे किसी को गुमराह किया जा सके या गुमराह करने का प्रयास किया जाए, ताकि कोई वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या किसी दायित्व से बचा जा सके।

III. कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को ख़राब कर सकता है।

IV. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से या व्यक्तिगत लाभ के लिए खरीद इकाई द्वारा ठेकेदार को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।

V. ठेकेदार और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन: जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

VI. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी जबरदस्ती या कोई खतरा।

VII. किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या लेखा परीक्षा में बाधा डालना।

VIII. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना।

बी. **हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल।**

सी. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्था/इकाई के समक्ष उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में की गई किसी पूर्व चूक का खुलासा न करना, या किसी सार्वजनिक खरीद संस्था/इकाई द्वारा प्रतिबंधित किया जाना।

ii. ठेकेदार द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा, ऐसे अन्य कार्य या चूक जिनके कारण बैंक की राय में उसे प्रतिबंधित किया जाना उचित हो—जैसे कि घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, सेवाओं/कार्यों को बीच में ही छोड़ देना, सेवाओं/कार्यों की गुणवत्ता खराब होना, या टेंडर की शर्तों का पालन न करना आदि।

iii. यदि ठेकेदार को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है— (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (ख) भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, जिसके कारण सार्वजनिक खरीद अनुबंध को पूरा करने के दौरान किसी की जान या संपत्ति का नुकसान हुआ हो, या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हुआ हो।

19. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**:

"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए वेंडर पूरी तरह जिम्मेदार होगा। यदि बैंक परिसर के भीतर वेंडर के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है, तो वह शिकायत वेंडर द्वारा गठित 'आंतरिक शिकायत समिति' के समक्ष दर्ज की जाएगी। वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त अधिनियम के तहत उस शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाए। यदि वेंडर का कोई कर्मचारी बैंक के किसी कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करता है, तो बैंक द्वारा गठित 'क्षेत्रीय शिकायत समिति' इस मामले पर संज्ञान लेगी। यदि समिति द्वारा यह साबित हो जाता है कि वेंडर के कर्मचारी (या ड्राइवर) ने यौन उत्पीड़न किया है, तो इसके परिणामस्वरूप जो भी मौद्रिक मुआवजा (जैसे कि बैंक के पीड़ित कर्मचारी को दी जाने वाली आर्थिक राहत) देना पड़े, उसके लिए वेंडर जिम्मेदार होगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और इससे जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी वेंडर की होगी।

खंड (V) – अनुबंध की विशेष शर्त

1. वितरण और स्थापना अवधि

विक्रेताओं को सूचित कर दिया गया है कि ऑर्डर दिए जाने की तारीख से डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के लिए एक समय-सारणी का पालन करना होगा। इसमें किसी भी तरह की देरी होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

वितरण	06 सप्ताह
स्थापना और संचालन	01 सप्ताह

2. परिनिर्धारित हर्जाना (एलडी)

यदि वेंडर अनुबंधित उत्पाद(उत्पादों) की डिलीवरी करने, सभी उपकरणों को इंस्टॉल/एक्टिवेट और चालू करने, काम पूरा करने, या ऊपर पैरा 1 में बताए गए समय-सीमा के भीतर सेवा(सेवाओं) को प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक - अनुबंध के तहत अपने अन्य अधिकारों पर असर डाले बिना - परचेज ऑर्डर की कुल वैल्यू (टैक्स को छोड़कर) के 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि, परिनिर्धारित हर्जाना के रूप में काट सकता है। यह कटौती देरी के प्रत्येक सप्ताह (या सप्ताह के किसी हिस्से) के लिए लागू होगी, और इसकी अधिकतम सीमा परचेज ऑर्डर की कुल वैल्यू (जी एस ती आदि जैसे टैक्स को छोड़कर) के 10 प्रतिशत तक होगी। यह जुर्माना वेंडर के इनवॉइस/बिल से, या उसकी प्रतिभूति जमा (निष्पादन बैंक गारंटी/बैंक गारंटी) से काटा जाएगा।

बैंक अनुबंध में उल्लिखित समाप्ति खंड के प्रावधानों के अनुसार विक्रेता के साथ अनुबंध को समाप्त करने पर भी विचार कर सकता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं वाले किसी भी खरीद आदेश के लिए, जुर्माना उन वस्तुओं के लिए होगा, जो अनुसूची के अनुसार वितरित नहीं किए जाते हैं, न कि पूरे खरीद आदेश के लिए।

3. भुगतान की शर्तें

i. यदि कोई क्रय आदेश मूल्य तीन (03) लाख रुपये (करों को छोड़कर) से अधिक है, तो उत्पाद की संतोषजनक स्थापना पर या डिलीवरी के दो सप्ताह के भीतर विक्रेता को खरीद आदेश (पीओ) मूल्य का 90% बनाया जाएगा, यदि देरी बैंक या अप्रत्याशित घटना के कारण है, जो भी पहले हो और वारंटी अवधि की समाप्ति पर या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की गई समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर शेष 10% (करों को छोड़कर) वारंटी अवधि के अंत तक वैध है। ऐसे मामलों में बैंक गारंटी को उक्त पीओ के चालान के साथ विक्रेता से मांगा जा सकता है।

ii. यदि खरीद आदेश का मूल्य तीन (03) लाख रुपये (करों को छोड़कर) से कम है, तो संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी खरीद आदेश के अनुसार वेंडर को 100% भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान उत्पाद की संतोषजनक इंस्टॉलेशन होने पर, या डिलीवरी के दो सप्ताह के भीतर (जो भी पहले हो) किया जाएगा। यदि देरी बैंक की ओर से या किसी अप्रत्याशित घटना के कारण होती है, तो भी यही नियम लागू होगा।

4. बिलिंग

पैनल में शामिल विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार प्रस्तुत किए गए अपने चालान/बिलों में आधार कीमतों के साथ-साथ लागू जीएसटी/करों को स्पष्ट रूप से और अलग से इंगित करें।

खंड - VI

कार्य का दायरा

1	**पृष्ठभूमि:**	भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से तीसरे पक्ष के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में लैपटॉप की आपूर्ति और इंस्टॉलेशन के लिए, **सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP)** https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जा रही है। यह प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सूचीबद्ध वेंडरों के लिए है और वित्तीय वर्ष 2026-27 से संबंधित है।
2	**आवश्यकता:**	भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में 'B1win' श्रेणी के 23 लैपटॉप की आपूर्ति और इंस्टॉलेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति, भारतीय रिज़र्व बैंक में कंप्यूटर सिस्टम की आपूर्ति और इंस्टॉलेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विक्रेताओं के पैनल के अंतर्गत प्रदान की गई है।
3	**तकनीकी विवरण**	बेसिक विंडोज़ OS आधारित लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा 7 सीरीज़ या उससे ऊपर (लेटेस्ट जनरेशन), या इसके बराबर AMD राइज़ेन AI सीरीज़, जिसमें इंटीग्रेटेड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट (NPU) हो जो कम से कम 30 TOPS (इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है) की AI कंप्यूट परफॉरमेंस दे सके। 16 GB DDR5 RAM 4800 MHz या उससे ज़्यादा, 512 GB PCIe® NVMe™ SSD या उससे ज़्यादा, विंडोज़ 11 प्रो, 3 साल की वारंटी
4	**अनुमोदित मेक:**	भारतीय रिज़र्व बैंक में कंप्यूटर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 हेतु विक्रेताओं के पैनल में शामिल करने के अंतर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा 'B1win' श्रेणी के लैपटॉप को अनुमोदित किया गया है।
5	**कोई अन्य आवश्यकता**	लैपटॉप भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ कार्यालय में डिलीवर और इंस्टॉल किए जाने हैं।

खंड – VII

<u>निविदा के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट</u>

एनआईटी/एसओटी में दी गई अंतिम तिथि और समय से पहले स्कैन और अपलोड किए जाने वाले विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित दस्तावेजों की सूची –

क्र. सं.	चेकलिस्ट	प्रस्तुत किया गया / प्रस्तुत नहीं किया गया	टिप्पणी
पहले ई-कवर अर्थात भाग – I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में प्रस्तुत किया जाना है			
1	निविदा दस्तावेज़, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगी हो (भाग I)		
2	एनआईटी और निविदा में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज		

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम/पदनाम और मुहर सहित)

खंड – VIII
बिना मूल्य वाली मात्रा सूची
(मूल्य बोली/भाग II इमेज)

*** नीचे दिया गया प्रारूप केवल उदाहरण के लिए है। इस कोटेशन की स्कैन की गई प्रति को 'भाग-1' (Part-1) में अपलोड न करें, क्योंकि कीमत केवल ऑनलाइन मोड में, CPPP पोर्टल पर ही दर्ज की जानी है।**

क्र. सं.	आइटम का विवरण (मेक / मॉडल)	मात्रा	कुल रेट (सभी लागू करों सहित)
1	एम्पैनलमेंट अनुबंध के एनेक्स-I के अनुसार, B1win श्रेणी का बेसिक विंडोज़ OS-आधारित लैपटॉप।	23	

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त दरों में सभी कर शामिल हैं, और ये अनुबंध के नियमों व शर्तों के अनुरूप हैं।

अनुलग्नक – I

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

इस दस्तावेज़ के माध्यम से, मैं/हम (ठेकेदार का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) श्री/सुश्री (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे यहाँ कार्यरत हैं और के पद पर हैं, अपना प्रतिनिधि (अटॉर्नी) नियुक्त और अधिकृत करते हैं। वे हमारे नाम और हमारी ओर से, **"सेवाओं/कार्य का नाम"** के लिए हमारी बोली (बिड) से संबंधित अथवा उससे जुड़े सभी आवश्यक कार्य और गतिविधियाँ कर सकते हैं। इसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना, बोली-पूर्व बैठक में व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त करना और आरबीआई को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और आम तौर पर उक्त प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के बातचीत/डीलिंग करना शामिल है।

मैं/हम एतद्द्वारा इस 'पावर ऑफ अटॉर्नी' के तहत हमारे उक्त प्रतिनिधि (अटॉर्नी) द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी डीड़ और कार्यों को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। साथ ही, हमारे उक्त प्रतिनिधि द्वारा किए गए सभी कार्यों को हमेशा हमारे द्वारा ही किए गए कार्य माना जाएगा।

ठेकेदार (ठेकेदारों) के नाम व हस्ताक्षर

ठेकेदार की स्टाम्प/मुहर

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) है।
https://etenders.gov.in/eprocure/app

ई-टेंडर की प्रक्रिया:
Process of E-tender : ठेकेदार मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

A) नए ठेकेदार के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल पर वेंडर का पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=ContractorsManualKit&service=page

तकनीकी संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए कृपया 24x7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें।

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

अंतरराष्ट्रीय ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे कंट्री कोड के रूप में +91 लगाएँ।

ईमेल सपोर्ट:
प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी समस्या अथवा स्पष्टीकरण के लिए, ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण से संपर्क करें।

तकनीकी सहायता - support-eproc@nic.in

पॉलिसी से संबंधित - cppp-doe@nic.in

अनुलग्नक – III

फर्म के लेटरहेड पर भाग लेने वाली फर्म / ठेकेदार / ठेकेदार का विवरण

1.	ठेकेदार का नाम	
2.	फर्म की स्थिति	प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/लिमिटेड/अन्य यदि 'अन्य' है तो निर्दिष्ट करें:_____
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता:	
4.	उस पते का टेलीफोन नंबर जहाँ ऑर्डर देना है वेबसाइट और ईमेल आईडी	_____ (कंट्री कोड) (एरिया कोड) (टेलीफोन नंबर) _____
5.	पैन नंबर.	_____ [पैन कार्ड की कॉपी संलग्न करें]
6.	जीएसटी नं. (उपरोक्त क्र. सं. 8 देखें)	_____ [जीएसटी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें]
7.	क्या सूक्ष्म / लघु / मध्यम उद्यम है	(ठेकेदार को ITB में निर्दिष्ट के अनुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।)
8.	**बैंकर विवरण (भुगतान प्राप्त करने हेतु खाता)** [निरस्त चेक की प्रति संलग्न करें]	
I.	बैंकर का नाम	
II.	शाखा	
III.	बैंक खाता संख्या	
IV.	आईएफ़एससी / IFSC	

स्थान:
दिनांक:

[ठेकेदार के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]
नाम:
पदनाम:
मुहर:

अनुलग्नक – IV

ठेकेदार द्वारा कानूनी कार्रवाई/सिविल मुकदमे/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता के संबंध में वचनपत्र

[आवेदक के लेटर हेड पर]

Date:

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
8-9, विपिन खंड,
गोमती नगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226010

विषय: _____ के लिए आवेदन

महोदय / महोदया,

1. मैं/हम (ठेकेदार का नाम) घोषणा करते हैं कि हमारे विरुद्ध किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में, किसी भी कारण से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही की जा रही है।
2. मैं/हम (ठेकेदार का नाम) घोषणा करते हैं कि हमारे विरुद्ध निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की गई है/की जा रही है:
 (कानूनी कार्रवाई का विवरण, विचाराधीन परियोजना, संबंधित कानूनी प्राधिकरण आदि) का विवरण।

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपर्युक्त कानूनी कार्रवाई का, 'एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन' के अनुसार बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(नोट: ऊपर दिए गए दो घोषणाओं में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

1. इसके अलावा, हम यह भी घोषित करते हैं कि हमारी किसी भी पूरी की गई परियोजना में कोई दीवानी मुकदमा / कानूनी कार्यवाही / मध्यस्थता आदि शुरू नहीं की गई है।
2. इसके अलावा, हम यह भी घोषित करते हैं कि हमारी पूरी की गई परियोजनाओं में निम्नलिखित दीवानी मुकदमे / कानूनी कार्यवाही / मध्यस्थता मामले शुरू किए गए थे / चल रहे हैं: (परियोजना का विवरण और कार्रवाई का प्रकार आदि)

(नोट: ऊपर दिए गए दो घोषणाओं में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

ठेकेदार के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम सहित रबर स्टैम्प

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक – V

भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों के संबंध में बोलीदाता द्वारा दिए जाने वाले वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र का प्रारूप

(इसे बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षरित हो।)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
8-9, विपिन खंड,
गोमती नगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश – 226010

विषय: _____ के लिए आवेदन

महोदय / महोदया

मैं/हम (नाम और पता, स्थान के देश सहित

(ख) भारत सरकार के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में दिनांक 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों की सामग्री को पढ़ा और समझ लिया है।

2 मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

2.1 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, अथवा
2.2 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, अथवा
2.3 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण सहायता प्रदान की है, अथवा
2.4 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में संबद्ध है।

(उपरोक्त में से जो लागू न हो, उसे काट दें।)

3 मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन तथा उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत विचार किए जाने के योग्य है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि जिन अनुबंधों में बैंक/आरबीआई द्वारा हमें उप-अनुबंध करने की अनुमति प्रदान की है, उनमें भी मैं/हम (अर्थात - बोलीदाता का नाम) किसी ऐसी सेवा/कार्य का उप-अनुबंध ऐसे बोलीदाता को नहीं देंगे जो भारत के साथ थल सीमा साझा करने वाले देश से हो, जब तक कि वह बोलीदाता उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में दी गई सभी आवश्यकताओं को पूरा न करता हो।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन-पत्र / घोषणा-पत्र / प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे टेंडर / सेवाओं / कार्य-आदेश को अस्वीकार / समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही, बैंक कानून के अनुसार हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित किए जाने वाली निविदाओं में हमारे भाग लेने पर रोक लगाना भी शामिल है।.

ठेकेदार के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम सहित रबर स्टैम्प

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक – VI

सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा के संबंध में निविदा में शामिल किया जाने वाला वचन-पत्र:

(निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम:.....

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करते हैं कि
 a) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है/नहीं है।
 b) मैंने/हमने या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है..... (बोली जमा करने की अंतिम तिथि)।
 c) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश, 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद इकाई द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।)
 d) हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा कैप्शन किए गए कार्य के लिए काम देने पर या उससे पहले प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाल दिया गया है।
2. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म* (संबद्ध फर्म का नाम) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है। (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) और(तारीख) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्न ह। .

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)
दिनांक:
स्थान:
(नोट: ऊपर दिए गए दो घोषणाओं में से जो लागू न हो, उसे काट दें।)

*संबद्ध फर्म: किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" तब माना जाएगा जब उसका प्रबंधन साझा हो, या प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के पास उसके पर्याप्त या बहुसंख्यक शेयर हों, जिसके कारण उस फर्म का उस पर नियंत्रण हो। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्म ही माना जाएगा।
Win